प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 08.07.2026**

थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 22.06.2026 को वादी द्वारा थाना भोगनीपुर पर तहरीर दी गयी कि इरफान पुत्र बाबू खान निवासी ग्राम अंगुरी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 217/2026 धारा 87/137(2) बीएनएस बनाम इरफान उपरोक्त पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए पीड़िता की बरामदगी कर आज दिनांक 08.07.2026 बजे अभियुक्त इरफान पुत्र बाबू खां निवासी ग्राम अंगुरी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष को बढ़ौली मोड से 50 मीटर आगे पुखरायां की तरफ रोड के किनारे थाना भोगनीपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता–

इरफान पुत्र बाबू खां निवासी ग्राम अंगुरी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार सिंह
2. उ0नि0 मुनीश्वर सिंह
3. हे0कां0 608 राजीव कुमार
4. रि0कां0 760 सुशील सिंह